

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)
-: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या 271/भू अ०

दिनांक 21.08.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- नोनीहाट- बासुकीनाथ- केराबानी-पालोजोरी- बगदाहा मोड़ पथ चौड़ीकरण हेतु ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-सारठ, थाना संख्या-461, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर के कुल-0.50 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश-0.50 एकड़ है और जो ग्राम-रघुनाथपुर, थाना-सारठ, थाना संख्या-461, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क.स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12	50	रैयती	बाड़ी-2	0.03	माखन सौरन व० रधी सौरन व० चम्पा सौरन पे० स्व० वदन सौरन व० श्यामलाल सौरन पे० स्व० दिवान सौरन व० सीबसर सौरन व० रूबीन सौरन व० होपन सौरन पे० स्व० पारू सौरन।	दाग न०-44	रास्ता	दाग न०-47	रघुवाडी ह
2	11	49	रैयती	बाड़ी-2	0.04	बाबूजन सौरन व० चुटका सौरन पे० स्व० बुधन सौरन व० जीतन सौरन पे० स्व० ठाकुर सौरन व० फीलीप सौरन व० हिरालाल सौरन व० सितल सौरन व० नन्दलाल सौरन पे० स्व० देना सौरन व० वारिस सौरन पे० स्व० बड़कू सौरन व० आनन्द सौरन पे० स्व० मनेजर सौरन व० पार्वती हेम्ब्रम पति स्व० छातो सौरन।				
3	11	47	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव				
4	11	48	रैयती	बाड़ी-2	0.07	बबलू सौरन व० हेमलाल सौरन व० दिनेश्वर सौरन व० पुरन सौरन पे० स्व० सुन्दर सौरन व० जलेश्वर सौरन व० काली सौरन व० चुण्डा सौरन पे० स्व० बैजल सौरन व० सुनिल सौरन पे० जनादन सौरन व० महादेव सौरन व० सहदेव सौरन व० बबलू सौरन पे० स्व० गोखुल सौरन व० शिवला सौरन व० चुटु सौरन व० पानो सौरन पे० स्व० जीतन सौरन व० झीमाली हांसदा पति गौर्वधन सौरन।				
5	6	46	रैयती	बाड़ी-2	0.27	लखो मूर्मू पति मोहरील मराण्डी व० पीथो मराण्डी व० सोना राम मराण्डी पे० चौहान मराण्डी।				
कुल योग-					0.50					

E:\2015 L.A\All Project For Road\Nonihat-Basukinath Road\Adhighoshna\Raghunathpur.Docx

18-08-2017

3

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स0-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि अर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

16/8/17
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

18-08-2017
उपर उपायुक्त

18/8/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक 571 / भू अ0, देवघर, दिनांक 21-08-2017 501

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

16/8/17
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

18-08-2017
उपर उपायुक्त

18/8/17
समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।